

प्रद सामेल अनुपस्थित रहे थे काका उनके
निद्रक एक लयका कारनाही अमल में लयी जा
चुकी है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कारनाही हेतु
दिनांक 30.07.2021 को पेश हो।

R.

30⁰⁷
21 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते साबित आदेशों की
पालना में दिनांक 04.08.2021 को पेश हो।

L

04⁰⁸
21 पत्रावली पेश हुई। बकील प्राधी उपस्थित। मूल वाद
डिठी किया जा चुका है। अतः न्यायालय द्वारा इस
दिनांक 06.11.2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज
की जाती है। इस कारण प्राप्त अस्थायी निषेधाज्ञा
इसी अर पर खारिज की जाती है। पत्रावली
निर्दिष्ट शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमनुसार
नम्बर से कम हो।

R.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (लॉक)